

1/147961/2023

1469  
22/08/2023

CAO  
21/8/23

उत्तराखण्ड शासन  
आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग  
संख्या-1473/XL-1-2023-30/2021  
देहरादून: दिनांक 21 अगस्त, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

22/8/23

निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-1469/जी-404/2023-24 दिनांक 26 मई 2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि डॉ० हरमीत कौर, राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय, बनलेख, जनपद बागेश्वर जो अपने तैनाती स्थल से अनाधिकृत रूप से आतिथि तक अनुपस्थित चल रही है।

2- उक्त अनुपस्थित चल रही चिकित्साधिकारी के संदर्भ में जनपद के जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के स्तर से समाचार पत्र में नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उक्त चिकित्साधिकारी द्वारा न ही कोई प्रत्युत्तर और न ही कोई सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

अतः निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में डॉ० हरमीत कौर, राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय, बनलेख, जनपद बागेश्वर की अनाधिकृत अनुपस्थित की तिथि दिनांक 02.09.2013 से धित्तीय हस्त पुरित्का खण्ड-2(भाग-2 से 4)(संशोधन) 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सेवा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

Signed by Pankaj Kumar  
Pandey

Date: 21-08-2023 13:41 (डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)  
सचिव।

संख्या: 1473/XL-1-2023-30/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. - निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. - जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बागेश्वर द्वारा निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड।
3. - सम्बन्धित चिकित्साधिकारी, द्वारा जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी बागेश्वर उत्तराखण्ड देहरादून।
4. - गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)  
उप सचिव

कार्यालय  
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या: 5844-52

/जी-404/2023-2024,

दिनांक 29 अगस्त, 2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ, देहरादून।
2. उप सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, कोषागार (पेंशन एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
5. वित्त अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. जिला, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बागेश्वर।
7. डा0 हरमीत कौर, चिकित्साधिकारी द्वारा जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बागेश्वर।
8. श्री नन्द किशोर सती, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
9. गार्ड फाईल।

(प्रो0(डा0)अरुण कुमार त्रिपाठी)  
निदेशक